



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 24.12.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 24.12.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त रिहान पुत्र रहीस निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 605/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. रिहान पुत्र रहीस निवासी ग्राम हुसैनपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण—

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0 350/23 धारा 8/23 एनडीपीएस एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
2. मु0अ0सं0 605/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 1161 सुनील कसाना थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 1902 प्रवीण कुमार थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर  
प्रेस नोट- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 24.12.2024

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को चोरी की गयी नगदी सहित किया गिरफ्तार।

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 03.12.2024 को वादी श्री भारत सिंह पुत्र छोटे सिंह निवासी ग्राम लकडा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि वादी की दुकान के गल्ले से अज्ञात अभियुक्तों द्वारा रूपये चोरी कर लिये गये। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 262/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह 2.लक्ष्मी पुत्री योगेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम कृतो नंगली उर्फ पेरुवाला थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।



**कार्यवाही -**

आज दिनांक 24.12.2024 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/24 धारा 303(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1.योगेन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह 2. लक्ष्मी पुत्री योगेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी किये गये रूपयों में शेष 2600 रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

- 1.योगेन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह निवासी ग्राम कृतो नंगली थाना कोतवाली देहात बिजनौर
- 2.लक्ष्मी पुत्री योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कृतो नंगली थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

**बरामदगी का विवरण-**

2600 रूपये

**आपराधिक इतिहास-**

- 1.मु0अ0सं0 164/24 धारा 379/411 भादवि थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2.मु0अ0सं0 149/24 धारा 380/411 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर।
- 3.मु0अ0सं0 262/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1—उ0नि0 नरेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

2—आरक्षी 21 विकास कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

3—महिला आरक्षी 1873 रेखा थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।